बिहार सरकार
(पर्यावरण एवं वन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-731

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गया वन प्रमंडल, गया।

श्रीमति सुलेखा कुमारी
पति–अभ्यानन्द कुमार,
ग्राम+पोस्ट–सबनीमा,
थाना–अथमलगोला,
जिला–पटना, पिन–803212

प्रथम स्मार

पटना 14, दिनांक– 25/08/2020

विषय– श्रीमती सुलेखा कुमारी द्वारा गया जिला अन्तर्गत खाता संख्या–870, खेसरा संख्या–1568,1608 मौजा–फतेहपुर SH-70 पथ किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.012 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/32115/2018/3170, दिनांक 30.05.2019 एवं इस कार्यालय के पत्रांक FC-429, दिनांक 07.06.2019,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/32115/2018/3170, दिनांक 30.05.2019 द्वारा विषयक प्रस्ताव पर कुल 13 अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा NPV मद एवं हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जो अभीतक अप्राप्त है।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.012 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर के दर से कुल रू० 7,512/– (सात हजार पाँच सौ बारह रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया के द्वारा 100 पौधों के रोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या– 03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू० 287 प्रति मानव दिवस) पर योजना तैयार कर प्रयोक्ता एजेंसी को राशि जमा करने हेतु उपलब्ध कराया जाय एवं इसकी प्रति इस कार्यालय को दी जाय। 100 लौह गैबियन पौधों का रोपण हेतु आर्दश प्राक्कलन सुलभ संकेत हेतु संलग्न है। (रू० 7,29,862.00)

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रू. 7,512.00 (+) रू. 7,29,862.00 अर्थात कुल रू. 7,37,374.00 (सात लाख सैतीस हजार तीन सौ चौहत्तर रूपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 13 तक अधिरोपित शर्त्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह० / —

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC - 731 दिनांक 25/08/2020

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/2020

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143